



जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

मदाऊ, भांकरोटा-गुहाना लिंक रोड, जयपुर (राज.) - 302020

■ वेबसाइट : www.jrsanskrituniversity.ac.in ■ ई-मेल - jrsu@yahoo.com ■ टेलीफोन : 0141-2050551-75

Helpline No.:-(+91)-7597122440

क्रमांक : प() जरारासंविधि/शैक्ष.-महा.निरी./25/2556

दिनांक : 23/8/25

कार्यालय आदेश

सत्र 2025-26 में विभिन्न पाठ्यक्रम संचालन बाबत महाविद्यालयों से प्राप्त नवीन अस्थायी सम्बद्धता के आवेदन पत्रों के क्रम में नवीन अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने से पूर्व आवेदित महाविद्यालयों का निरीक्षण करवाये जाने के क्रम में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 2317-25 दिनांक 08.08.2025 की निरन्तरता में अधोलिखित विवरणानुसार महाविद्यालयों के निरीक्षण हेतु कुलपति महोदय द्वारा निरीक्षण दल गठित किये जाते हैं-

S. No.	CollegeName	District	Mobile	Course	App.Aff. Seats	Course Fee_ Amount	Inspector I	Inspector II
1	M.D.P.G MAHAVIDYALYA ,LALSOT	DAUSA	96673-23201	PGDCA	40	103250	Dr. Diwakar Mishra Mob. 98295-60632	Dr. Dayaram Das Mob. 99282-95878
2	SRI BALAJI COLLEGE, KOTKHAWDA,	JAIPUR	99284-57928	PGDCA	40	95580	Dr. Snehlata Sharma Mob. 93525-30162	Dr. Vandana Rathore Mob. 87624-14369

कार्यालय आदेश क्रमांक 2317-25 दिनांक 08.08.2025 में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं:-

- क्र. सं. 9 में पीजीडीवाईटी पाठ्यक्रम के स्थान पर पीजीडीसीए पढ़ा जावे।
- क्र. सं. 68 पर 40 सीट के स्थान पर 80 सीट (पीजीडीसीए) पढ़ा जावे।
- क्र. सं. 69 पर 80 सीट के स्थान पर 40 सीट (पीजीडीवाईटी) पढ़ा जावे।

विश्वविद्यालय के नियमानुसार किसी भी स्तर पर आवेदित संस्था द्वारा सम्बद्धता नियमों की पूर्ति नहीं किये जाने, असत्य दस्तावेज उपलब्ध करवाकर सम्बद्धता प्रक्रिया को पूर्ण करवाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्था/महाविद्यालय की होगी, जिसके लिए संबंधित संस्था/महाविद्यालय के विरुद्ध नियम अनुसार कार्यवाही की जावेगी। प्रस्तुत किये गये दस्तावेज विश्वविद्यालय द्वारा जांच में किसी भी स्तर पर गलत पाये जाने पर सम्बद्धता निरस्त की जा सकती है।

निरीक्षण दल के सदस्यों/महाविद्यालयों को निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैं:-

- निरीक्षण दल के सदस्यों को विश्वविद्यालयीय अनुबंधित फर्म से वाहन उपलब्ध करवाया जावेगा। निरीक्षकों को नियमानुसार यात्रा भत्ता प्रपत्र की पूर्ति एवं संलग्नक लगाने होंगे।
- निरीक्षण दिवस का विश्वविद्यालय नियमानुसार D.A. देय होगा।
- निरीक्षण दल के सदस्य निरीक्षण प्रतिवेदन स्वयं की लिखावट (handwriting) में भरें एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें।
- निरीक्षण प्रपत्र में असत्य तथ्यों के उल्लेख का दायित्व संबंधित निरीक्षण दल का होगा।
- प्रति महाविद्यालय निरीक्षण हेतु रु. 1000/- (अक्षरे रुपये एक हजार मात्र) मानदेय प्रदान किया जावेगा।
- निरीक्षण के दौरान यदि रात्रि विश्राम अत्यावश्यक हों, तो आवास व्यवस्था (Accommodation) निरीक्षण दल के सदस्यों द्वारा अपने स्तर पर की जावेगी।
- निरीक्षण दल के सदस्यों द्वारा निरीक्षण के दौरान सम्पूर्ण Video-graphy एवं फोटो संबंधित फाईल के साथ (दिनांक/समय सहित) निर्धारित प्रपत्र में संलग्न कर प्रेषित करनी होगी।
- निरीक्षण दल के सदस्यों द्वारा निर्धारित प्रारूप में सम्पूर्ण सूचनाएं भरकर अन्तिम तिथि 30.08.2025 से पूर्व मध्य Undertaking जमा करानी होगी।
- निरीक्षण दल सदस्यों द्वारा निर्धारित तिथि तक एक बार ही रूट चार्ट बनाकर निरीक्षण पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।
- यदि निरीक्षण किये जाने वाले महाविद्यालय सदस्यों का कोई परिचित या संबंधी उक्त निरीक्षण में शामिल हो रहा है तो इसकी सूचना विश्वविद्यालय को दी जानी आवश्यक होगी।
- विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के उपरान्त निरीक्षण नहीं किये जा सकेंगे।
- निरीक्षण आदेश को प्राथमिकता दी जावे तथा निर्धारित समय पर निरीक्षण कार्य सम्पन्न किया जाना सुनिश्चित करावे।

कुलसचिव



Helpline No.:-(+91)-7597122440
जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय
भदाऊ, भांकरोटा-मुहाना लिंक रोड़, जयपुर (राज.) - 302026

■ वेबसाइट : www.jrsanskrituniversity.ac.in ■ ई-मेल - jrsu@yahoo.com ■ टेलीफोन: 0141-2050551-75

क्रमांक : प() जरारासंविधि/शैक्ष.-महा.निरी./25/2557-64
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक : ~~3/12/25~~
33/8/25

1. निजी सचिव, कुलपति महोदय, जरारासंविधि, जयपुर
2. निजी सहायक, कुलसचिव महोदय, जरारासंविधि, जयपुर
3. सम्बन्धित निरीक्षणकर्ता
4. सम्बन्धित महाविद्यालय
5. वेबसाइट प्रभारी/कम्प्यूटर प्रोग्रामर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
6. सामान्य प्रशासन शाखा, जरारासंविधि, जयपुर को प्रति प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालयीय शिक्षकों द्वारा महाविद्यालय निरीक्षण बाबत वाहन मांगे जाने पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
7. अनुबन्धित फर्म (सम्बद्धता) को प्रति प्रेषित कर लेख है कि संबंधित महाविद्यालयों को ईमेल करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
8. मैसर्स यादव ट्रेवल्स, जरारासंविधि, जयपुर (वाहन अनुबन्धकर्ता)।

कुलसचिव

o/c